तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 73/2018 अनवान कानाराम बनाम तहसीलदार बाडमेर**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र बिशाला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र बिशाला पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

आदेश

23.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बिशाला पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि ग्राम सोनडी में खसरा संख्या 273/204 रकबा 75.00 बीघा भूमि कानाराम, सोनाराम पिसरान इशरा सबानी पत्नी इशरा के नाम खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण के पिता ईशरा का सही नाम मिश्रीराम है। राजस्व अभिलेख में उनके पिता का नाम ईशरा गलत अंकित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बिशाला आगोर, उप सरपंच बिशाला आगोर ने भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मिश्रीराम होना प्रमाणित किया है। प्रार्थीगण ने राजस्व अभिलेख मे उनके पिता का सही नाम ईशराराम के स्थान पर मिश्रीराम अंकित किये जाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन के बारे में तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भूअ/2018/2643 दिनांक 10.05.2018 में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मिश्रीराम अंकित किये जाने की अनुशंषा की है।

तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से न्यायालय को सन्तुष्टी है कि प्रार्थिगण के पिता का सही व शुद्ध नाम मिश्रीराम होना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोनडी में स्थिति खसरा नम्बर 273/204 रकबा 75.00 बीघा भूमि के खातेदारान कानाराम सोनाराम पिसरान ईशरा सबानी पत्नी

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 73/2018 अनवान कानाराम बनाम तहसीलदार बाडमेर**
	ईशरा जाति रांसी के स्थान पर कानाराम सोनाराम पिसरान मिश्रीराम सवानी पत्नी मिश्रीराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, (एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner